



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 529]
No. 529]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2008/वैशाख 2, 1930
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2008/VAISAKHA 2, 1930

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2008

का.आ. 901(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 210क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के अधीन कम्पनियों या कम्पनियों के वर्ग द्वारा अंगीकृत किए जाने के लिए लेखा नीतियों और लेखा मानक बनाने और अधिकथित करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को सलाह देने के लिए लेखा मानकों से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार समिति नामक सलाहकार समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

- | | |
|--|---|
| (1) श्री येजदी एच. मालेगम, चार्टर्ड अकाउंटेंट | —अध्यक्ष, (28-5-2008 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |
| (2) श्री सुनील एच. तलाटी, प्रतिनिधि, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान | —सदस्य, (28-5-2008 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |
| (3) सुश्री प्रीति मल्होत्रा, प्रतिनिधि, भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान | —सदस्य, (28-5-2008 तक पद धारण करेगी) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |
| (4) श्री चंद्र वाधवा, अध्यक्ष, भारतीय लागत तथा संकर्म लेखापाल संस्थान | —सदस्य, (28-5-2008 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |
| (5) श्री प्रशांत सरन, मुख्य महाप्रबंधक-प्रभारी, भारतीय रिज़र्व बैंक | —सदस्य, (28-5-2008 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |
| (6) श्री ए. के. अवस्थी, महानिदेशक (वाणिज्यिक), भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का नामनिर्देशिती | —सदस्य, (28-5-2008 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ङ) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |
| (7) डा. एन. बालामुब्रमणियम, भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर का नामनिर्देशिती | —सदस्य, (28-5-2008 तक पद धारण करेगा) [धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट] |

- (8) श्री दिनेश वर्मा, सीआईटी (आईटीए),
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
—सदस्य,
(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (छ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (9) श्री वेद जैन,
दि एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड
इंडस्ट्री का नामनिर्देशिती
—सदस्य,
(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (10) श्री एस. आर. मेहता,
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ
कामर्स एंड इंडस्ट्री का नामनिर्देशिती
—सदस्य,
(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ज) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (11) श्री आर. के. नायर,
कार्यकारी निदेशक,
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड का नामनिर्देशिती
—सदस्य,
(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (झ) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
- (12) श्री जितेश खोसला,
संयुक्त सचिव,
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
—सदस्य,
(28-5-2008 तक पद धारण करेगा)
[धारा 210क की उप-धारा (2) के खंड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट]
2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 1/5/2001-सी एल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd April, 2008

S.O. 901 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 210A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby constitutes an Advisory Committee to be called the National Advisory Committee on Accounting Standards, consisting of the following persons to advise the Central Government on the formulation and laying down of accounting policies and accounting standards for adoption by companies or class of companies under the said Act, namely :—

- (1) Shri Yezdi H. Malegam,
Chartered Accountant
—Chairperson,
(shall hold office upto 28-5-2008)
[under clause (a) of sub-section (2)
of Section 210A]
- (2) Shri Sunil H. Talati,
Representative of the Institute of
Chartered Accountants of India
—Member,
(shall hold office upto 28-5-2008)
[nominated under clause (b) of sub-
section (2) of Section 210A]
- (3) Ms. Preeti Malhotra,
Representative of the Institute of
Company Secretaries of India
—Member,
(shall hold office upto 28-5-2008)
[nominated under clause (b) of sub-
section (2) of Section 210A]
- (4) Shri Chandra Wadhwa,
President of the Institute of Cost
and Works Accountants of India
—Member,
(shall hold office upto 28-5-2008)
[nominated under clause (b) of sub-
section (2) of Section 210A]
- (5) Shri Prashant Saran, Chief General
Manager-in-charge, Reserve Bank of
India
—Member,
(shall hold office upto 28-5-2008)
[nominated under clause (d) of sub-
section (2) of Section 210A]
- (6) Shri A.K. Awasthi,
Director General (Commercial),
Nominee of the Comptroller and
—Member,
(shall hold office upto 28-5-2008)
[nominated under clause (e) of sub-

- | | | |
|------|--|--|
| (7) | Dr. N. Balasubramanian, Nominee of the Indian Institute of Management, Bangalore | —Member, (shall hold office upto 28-5-2008) [nominated under clause (f) of sub-section (2) of Section 210A] |
| (8) | Shri Dinesh Verma, CIT(ITA), Central Board of Direct Taxes | —Member, (shall hold office upto 28-5-2008) [nominated under clause (g) of sub-section (2) of Section 210A] |
| (9) | Shri Ved Jain, Nominee of the Associated Chambers of Commerce and Industry of India | —Member, (shall hold office upto 28-5-2008) [nominated under clause (h) of sub-section (2) of Section 210A] |
| (10) | Shri S.R. Mehta, Nominee of the Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry | —Member, (shall hold office upto 28-5-2008) [nominated under clause (h) of sub-section (2) of Section 210A] |
| (11) | Shri R. K. Nair, Executive Director, Securities & Exchange Board of India | —Member, (shall hold office upto 28-5-2008) [nominated under clause (i) of sub-section (2) of Section 210A] |
| (12) | Shri Jitesh Khosla, Joint Secretary, Ministry of Corporate Affairs | —Member, (shall hold office upto 28-5-2008) [nominated under clause (c) of sub-section (2) of Section 210A]. |

2. This notification shall take effect from the date of publication in the Official Gazette.

[F. No. 1/5/2001-CL-V]
JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

